

कार्यालय नगर सुधार न्यास, अजमेर

भवन विनियम 2010 व न्यास बैठक 30.09.2010 के अनुसार भवन निर्माण संबंधित दरें

क्र. सं.	भूखण्ड की किस्म/उपयोग व क्षेत्रफल	प्रार्थना पत्र शुल्क प्रति पत्रावली	जॉच शुल्क (भूखण्ड के क्षेत्रफल पर)	अनुमोदन शुल्क (प्रस्तावित एफ.ए.आर पर)	मलबा शुल्क	अधिवास प्रमाण पत्र शुल्क (निर्मित एफ.ए.आर पर)
1. आवासीय/संस्थागत/औद्योगिक (व्यावसायिक को छोड़कर अन्य सभी उपयोग)						
क	500 वर्गमी तक	100.0 रु	10/-रु. प्रति वर्गमी.	500.0 रु एक मुश्त	1000.0 रु	—
ख	500 वर्गमी से अधिक 1000 वर्गमी तक	100.0 रु	10/-रु. प्रति वर्गमी.	30/-रु. प्रति वर्गमी.	3000.0 रु.	10/- प्रति वर्गमी.
ग	1000 वर्गमी से अधिक	100.0 रु	10/-रु. प्रति वर्गमी.	30/-रु. प्रति वर्गमी.	5000.0 रु.	10/- प्रति वर्गमी.
2. व्यावसायिक						
क	100 वर्गमी तक	300.0 रु.	30/-रु. प्रति वर्गमी.	1000.0 रु.	1000.0 रु.	—
ख	100 वर्गमी से अधिक 250 वर्गमी तक	300.0 रु.	30/-रु. प्रति वर्गमी.	3000.0 रु.	1000.0 रु.	
ग	250 वर्गमी से अधिक 500 वर्गमी तक	300.0 रु.	30/-रु. प्रति वर्गमी.	5000.0 रु.	1000.0 रु.	
घ	500 वर्गमी से अधिक 1000 वर्गमी तक	300.0 रु	30/-रु. प्रति वर्गमी.	50/-रु. प्रति वर्गमी.	3000.0 रु.	20/-प्रति वर्गमी.
ङ	1000 वर्गमी से अधिक 1500 वर्गमी तक	300.0 रु	30/-रु. प्रति वर्गमी.	50/-रु. प्रति वर्गमी.	5000.0 रु.	20/- प्रति वर्गमी.
च	1500 वर्गमी. से अधिक	300.0 रु.	30/-रु. प्रति वर्गमी.	60/-रु. प्रति वर्गमी.	5000.0 रु.	20/- प्रति वर्गमी.
छ	मोटल एवं रिसोर्ट	300.0 रु.	30/-रु. प्रति वर्गमी.	30/-रु. प्रति वर्गमी.	5000.0 रु.	20/- प्रति वर्गमी.
3. वर्षाजल पुनर्भरण संरचना (टांका निर्माण) हेतु धरोहर राशि निम्न प्रकार देय होगी :- 300 वर्गमीटर एवं इससे ज्यादा परन्तु 1000 वर्गमीटर से कम के भूखण्डों पर — 35,000.0 रु.						
4. 1000 वर्गमी. व उससे बड़े भूखण्ड/बहुमंजिला भवन (15 मीटर से ऊंचे) में वर्षाजल पुनर्भरण संरचना, अग्निशमन, भूकम्परोधी, पार्किंग एवं ग्रीनरी प्लानटेशन हेतु अमानत राशि नगद, बैंक ड्राफ्ट या बैंक गारन्टी के रूप निम्न प्रकार देय होगी :-						
भूखण्डों का आकार (वर्गमीटर में)			अमानत राशि	बहुमंजिला भवन		
क	1000 वर्गमीटर से 2500 वर्गमीटर तक		50 हजार रु.	5.0 लाख रु.		
ख	2500 वर्गमीटर से अधिक एवं 4000 वर्गमीटर तक		1.0 लाख रु.	10.0 लाख रु.		
ग	4000 वर्गमीटर से अधिक एवं 10000 वर्गमीटर तक		2.0 लाख रु.	15.0 लाख रु.		
घ	10000 वर्गमीटर से अधिक		3.0 लाख रु.	20.0 लाख रु.		
5. उप विभाजन एवं पुनर्गठन हेतु शुल्क (स्वीकृत योग्य क्षेत्रफल पर)						
आवासीय :- 5/-रु प्रति वर्गमी.		पुनर्गठन के पश्चात यदि अतिरिक्त एफ.ए.आर. प्राप्त होता है तो आवासीय भूखण्ड में आवासीय				
संस्थागत :-15/-रु. प्रति वर्गमी.		आरक्षित दर की 25 प्रतिशत एवं व्यावसायिक भूखण्ड में आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत दर से				
व्यावसायिक:- 25/-रु. प्रति वर्गमी.		राशि देय होगी।				

बी.एस.यू.पी. सेक्टर फण्ड में देय राशियों के अलावा निम्न राशि अतिरिक्त देय होगी :-

- 15 मीटर या उससे अधिक उचाई के भवन मानचित्र अनुमोदन पर आवासीय पर 10/-रु. प्रति वर्गमी व व्यावसायिक पर 25/-रु. प्रति वर्गमी. की दर से शुल्क देय होगा।
 - 25/- रु. प्रति वर्गमी. की दर से के पुनर्गठन/उप विभाजन, भू-उपयोग परिवर्तन एवं भू-रूपान्तरण/नियमन शुल्क देय होगा।
 - मानक एफ.ए.आर से अधिक एफ.ए.आर होने पर 25 प्रतिशत बेटरमेन्ट लेवी की राशि देय होगी।
 - 300 वर्गमीटर से बड़े आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्डों विक्रय पर क्रमशः 10/-रु व 30/-रु प्रति वर्गमी. एवं 1000 वर्गमीटर से अधिक निर्मित मकानों पर 10/- रु. प्रति वर्गमी. की दर से राशि देय होगी।
- भवन विस्तार:-** यदि किसी पूर्व निर्मित भवन के क्षेत्र में विस्तार किया जाता है तो आवेदन शुल्क, जांच शुल्क व अतिरिक्त प्रस्तावित एफ.ए.आर. के क्षेत्र पर अनुमोदन शुल्क देय होगा।
 - नवीनीकरण :-** आवेदक द्वारा एक बार निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात मानचित्र की वैध अवधि के दौरान पुनः मानचित्र संशोधन कर अनुमोदित कराये जाते हैं तो जांच शुल्क व अनुमोदन शुल्क 10 प्रतिशत देय होगा तथा निर्धारित अवधि के पश्चात मानचित्र का नवीनीकरण करवाया जाता है तो आवेदन शुल्क व अनुमोदन शुल्क का 20 प्रतिशत देय होगा।
 - प्रार्थी द्वारा मलबा उठाने पर, वर्षाजल पुनर्भरण की संरचना (टांका निर्माण) करने पर, अग्निशमन, भूकम्परोधी तथा पार्किंग के प्रावधान करने पर, ग्रीनरी प्लानटेशन कि उपलब्धता पर व भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्रों एवं भवन विनियमों के अनुरूप करने पर अधिवास प्रमाण पत्र/कम्प्लिशन सर्टिफिकेट जारी करते समय मलबा शुल्क, वर्षाजल पुनर्भरण शुल्क व अमानत राशि प्रतिदेय (Refundable) होगी।
 - चैरिटेबल संस्थाएँ जिन्हें रियायती दर पर भूमि आवंटन का प्रावधान है, यथा वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम/आवास, रेनबसेरा, गुंगे-बहरो/मानसिक अशक्त/विकलांगों हेतु प्रस्तावित प्रशिक्षण/संस्थान आदि में अनुमोदन शुल्क में राज्य सरकार द्वारा छूट दी जा सकेगी।
 - पार्किंग के लिये देय राशि होगी :- 50,000/- समतुल्य कार पार्किंग यह राशि टेबल की क्र.सं. '1' पर ही लागू होगी।